राजस्थान–सरकार
प्राविधिक शिक्षा मण्डल, राजस्थान,
डब्ल्यू–6, रेजीडेंसी रोड, जोधपुर।

क्रमांक :– एफ4(152 S)/प्राशिमं./ पाविप्र./2016–17/ 7437   24 OCT 2016 दिनांक
:

परीक्षार्थियों को उत्तर पुस्तिकाओं को दिखाने के संबंध में
राज्य सरकार के पत्रांक 1(42)तशि./2004/जयपुर दिनांक 10/07/2012.द्वारा अनुमोदित एवं पत्रांक 1(42)तशि./04/जयपुर दिनांक 30/09/2016.द्वारा संशोधित दिशा–निर्देश ।

1. केवल सैद्धान्तिक परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं का ही अवलोकन करवाया जा सकेगा।
2. उन्हीं विद्यार्थियों को उत्तर पुस्तिका दिखाई जायेगी जिनके स्पष्ट रूप से भरे हुए आवेदन पत्र परिणाम घोषित होने की तिथि से 15 दिवस के अन्दर– अन्दर प्राप्त हो जायेंगें। विद्यार्थी उत्तर पुस्तिका के अवलोकन हेतु एक परीक्षा में एक ही बार आवेदन कर सकेंगे।
3. निर्धारित समय के पश्चात् प्राप्त एवं अपूर्ण आवेदन पत्र निरस्त कर दिये जायेंगें।
4. आवेदन पत्र का प्रारूप एवं दिशा–निर्देश मण्डल की वेब साईट पर उपलब्ध करवा दिये जायेंगें।
5. विद्यार्थी पर विद्यार्थी की उत्तर पुस्तिका देखने के लिये पात्र नहीं होंगें।
6. उत्तर पुस्तिका के अवलोकन के लिये विद्यार्थी को मण्डल द्वारा निर्धारित की गयी दिनांक एवं समय पर दस मिनट का अधिकतम समय प्रदान किया जायेगा।
7. निर्धारित समय पर आवेदक के अनुपस्थित रहने पर उसके आवेदन को निस्तारित माना जायेगा।
8. छात्र को उत्तर पुस्तिका के अवलोकन से पूर्व सक्षम अधिकारी के समक्ष उस परीक्षा का प्रवेश पत्र एवं प्रधानाचार्य द्वारा जारी किया गया नवीनतम (लेटेस्ट) फोटो परिचय पत्र प्रस्तुत करना होगा। सक्षम अधिकारी के पूर्णरूप से आश्वस्त होने के पश्चात् ही विद्यार्थी को उत्तर पुस्तिका दिखाई जायेगी।
9. आवेदक प्रपत्र के साथ, 1000/– प्रति उत्तर पुस्तिका की दर से शुल्क (Non refundable) जमा करवाने के पश्चात् ही उत्तर पुस्तिका देखने के लिये पात्र होगा।
10. उत्तर पुस्तिका अवलोकन स्थल पर पेन, बॉलपेन, पेंसिल, अन्य लेखन/स्टेशनरी सामग्री, मोबाईल, केमरा व अन्य आपत्तिजनक सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
11. आवेदक विद्यार्थी के साथ उत्तर पुस्तिका के अवलोकन के लिये अभिभावक/अध्यापक/वकील अथवा अन्य किसी भी व्यक्ति को उत्तर पुस्तिका अवलोकन कक्ष में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जायेगी।
12. आवेदक विद्यार्थी द्वारा उत्तर पुस्तिका अवलोकन के समय उत्तर पुस्तिका को फाडे जाने पर अथवा अन्य कोई नुकसान पहुंचाने की अवस्था में उसके खिलाफ पुलिस में एफ.आई.आर.दर्ज की जायेगी।
13. एक विद्यार्थी को केवल एक ही बार उत्तर पुस्तिका के अवलोकन का अवसर प्रदान किया जायेगा।
14. उत्तर पुस्तिका में अमूल्यांकित प्रश्न होने अथवा गणना में त्रुटि होने की अवस्था में मण्डल द्वारा उसमें सुधार कर दिया जायेगा। मण्डल अध्यक्ष परीक्षा परिणाम में परिवर्तन करने के लिए अधिकृत होंगे।
15. विद्यार्थी को परीक्षक द्वारा दिये गये मूल्यांकन अंकों पर टिप्पणी करने की अनुमति नहीं होगी न ही परीक्षक द्वारा प्रदत्त अंकों में संशोधन किया जावेगा।
16. उत्तरपुस्तिका आवलोकन के पश्चात् आवेदक इस हेतु प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करेगा कि उसने आवेदन के अनुरूप उत्तरपुस्तिका का अवलोकन कर लिया है। मण्डल द्वारा इस हेतु एक अवलोकन पंजिका/पुस्तिका का संधारण किया जायेगा।

24/10/16

संयुक्त निदेशक एवं सचिव

राजस्थान–सरकार

प्राविधिक शिक्षा मण्डल, राजस्थान, जोधपुर

उत्तर पुस्तिका अवलोकन हेतु आवेदन प्रपत्र

(आवेदक विद्यार्थियों द्वारा स्वयं के हस्तलेख में भरा जाये)
(प्रपत्र भरने से पूर्व कृपया दिशा–निर्देशों का अवलोकन करें)

1. विद्यार्थी का नाम ....
2. पिता का नाम ....
3. एस.पी.एन.संख्या ....
4. परीक्षा ....
5. रोल नम्बर..
6. महाविद्यालय का नाम...
7. परिणाम ....उत्तीर्ण / अनुत्तीर्ण ....
8. परीक्षा परिणाम घोषित होने की तिथि...
9. अवलोकन की जाने वाली उत्तर पुस्तिका का विवरण
   विषय कोड...................................विषय...प्राप्तांक.......................
10. विद्यार्थी का नमूना हस्तलेख ....
11. मण्डल की रसीद संख्या..एवं दिनांक..
12. पत्र व्यवहार हेतु पता..
    ....
13. मोबाईल नम्बर ....

मैं .... पुत्र / पुत्री श्री ....

मण्डल के नियम एवं नियमन जो कि दिशा–निर्देशों में दर्शाये गये हैं कि पालना के लिये प्रतिबद्ध रहूंगा / रहूंगी।

आवेदक विद्यार्थी के हस्ताक्षर

कार्यालय उपयोग हेतु
(उत्तर पुस्तिका अवलोकन के पश्चात् भरा जाय)

प्रकरण संख्या ....

आवेदन प्राप्ति की दिनांक...

उत्तर पुस्तिका दिखाई जाने वाली दिनांक एवं समय ....

मैंने उत्तर पुस्तिका का अवलोकन कर लिया है।

1. हस्ताक्षर, सम्बंधित लिपिक

नाम....................................

(विद्यार्थी के हस्ताक्षर एवं दिनांक)

नाम..

2. हस्ताक्षर, सम्बंधित अधिकारी

नाम....................................

हस्ताक्षर संयुक्त निदेशक (गोपनीय)